न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर
पीठासीन अधिकारीः एल0एन0मंत्री,R.A.S.

प्रकरण संख्या – 07/2019 अपील/डूंगरपुर
पंजीयन दिनांक– 08.01.2019
निर्णय दिनांक– 04.07.2019

श्रीमती मणी पुत्री स्व. रूपाजी भील निवासी ऊंटीया, तहसील व जिला डूंगरपुर

. ... अपीलान्ट

बनाम

1. श्री कान्तीलाल पिता धनजी डामोर निवासी ऊंटीया, तहसील व जिला डूंगरपुर
2. श्री धनजी पिता थावरा डामोर निवासी ऊंटीया, तहसील व जिला डूंगरपुर
3. श्रीमती कमला पिता लालजी देपात मृतक के बजाय–
   (3/1) श्री मुकेश पुत्र श्रीमती कमला निवासी ऊंटीया, तहसील व जिला डूंगरपुर
   (3/2) श्री जयन्ती पुत्र श्रीमती कमला निवासी ऊंटीया, तहसील व जिला डूंगरपुर
   (3/3) श्री अनिल पुत्र श्रीमती कमला नाबालिग बविलायत भाई मुकेश निवासी ऊंटीया, तहसील व जिला डूंगरपुर
   (3/4) सुश्री उठूड़ी पुत्री श्रीमती कमला नाबालिग बविलायत भाई मुकेश निवासी ऊंटीया, तहसील व जिला डूंगरपुर
4. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार डूंगरपुर
5. सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत गेंजी, तहसील डूंगरपुर जिला डूंगरपुर
6. श्रीमती केसर पत्नी स्व. रूपाजी भील निवासी ऊंटीया तहसील व जिला डूंगरपुर

..................रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितः—

श्री परमेश्वर पण्ड्या : अधिवक्ता अपीलान्ट
श्री भंवरसिंह देवड़ा : अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 2
श्री शरद पालीवाल : अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 6
श्री योगेन्द्र दशोरा : राजकीय अभिभाषक रेस्पो. संख्या 4

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट—1956
विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डूंगरपुर
के प्रकरण संख्या 01/2014 निर्णय दिनांक 17.02.2014

निर्णय

दिनांक— 04.07.2019

अपीलान्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा—76 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डूंगरपुर के प्रकरण संख्या 01/2014 निर्णय दिनांक 17.02.2014 के विरूद्ध द्वितीय अपील दिनांक 09.04.2014 को पेश की गई है।

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत इस अपील प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 6 द्वारा ग्राम उंटीया पटवार हल्का गैंजी तहसील डूंगरपुर के नामान्तरकरण संख्या 514 दिनांक 28.03.2012 एवं नामान्तरकरण संख्या 515 दिनांक 27.04.2012 के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उसके पिता एवं पति श्री भूरा की मृत्यु के बाद पटवारी द्वारा भरे गये उक्त नामान्तरकरणों में श्री भूरा के कोई पुत्र पुत्रियां वारीसान नहीं है। जिसके आधार पर नामान्तरकरण संख्या 514 एवं 515 रेस्पोडेन्ट संख्या 6 केसर के नाम दर्ज कर दिया गया, जबकि अपीलान्ट भी उसकी पुत्री होने से उसका भी 1/2 हिस्सा दर्ज होना चाहिये था। रेस्पोडेन्ट संख्या 6 (अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट संख्या 1) द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम जरिये रजिस्टर्ड बक्शीशनामा से वादग्रस्त भूमि बक्शीश कर दी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट संख्या 1 द्वारा भूमि का रजिस्टर्ड बक्शीश करने से अपीलार्थी को सम्पूर्ण प्रकरण की जानकारी होने से प्रकरण को अन्दर मियाद नहीं माना गया एवं अपीलान्ट संख्या 2 अनुसूचित जनजाति से संबंधित होने से

उत्तराधिकार अधिनियम भी लागू नहीं होना मानते हुए तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 6 द्वारा रजिस्टर्ड बक्शीशनामा संपादित किये जाने से प्रकरण सिविल प्रकृति में रूपान्तरित हो जाना माना जाकर निर्णय दिनांक 17.02.2014 से अपील अपीलान्ट अस्वीकार की गई।

उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। प्रकरण में अपीलान्ट्स संख्या 1 श्रीमती केसर द्वारा दिनांक 15.03.2017 को प्रार्थना पत्र वास्ते अपील विड्रो करने हेतु प्रस्तुत किया गया। जिस पर आदेश दिनांक 01.03.2019 से श्रीमती केसर अपीलान्ट्स संख्या 1 को रेस्पोडेन्ट संख्या 6 के रूप में प्रतिस्थापित किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 3/1 से 3/4 , 5 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से श्री भंवरसिंह देवड़ा एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 6 की ओर से श्री शरद पालीवाल एवं रेस्पोडेन्ट सं. 4 की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए। अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट्स के अधिवक्ताओं की दिनांक 13.06.2019 को बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गई एवं दौराने बहस बताया कि पटवारी द्वारा त्रुटिपूर्ण टिप्पणी की गई कि मृतक रूपा के पुत्र पुत्रियां नहीं है, जबकि अपीलान्ट मणी रूपा की पुत्री है। केसर के अकेले विरासती इन्तकाल के आधार पर उससे धोखाधड़ी पूर्वक बक्शीशनामा पंजीकृत करवाया गया। अपीलान्ट को नामान्तरकरण की जानकारी होते ही उसने अपील प्रस्तुत कर दी। अधीनस्थ न्यायालय ने सिर्फ बक्शीशनामा को सिविल न्यायालय का क्षेत्राधिकार बताते हुए दोनों नामान्तरकरण की अपील को खारिज कर दी है, जो त्रुटिपूर्ण है। अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ निम्नानुसार न्यायिक नजीरे पेश की है–

1. आरएलडब्ल्यू 1997 (1) राजस्थान पेज 226– यदि गुणावगुण पर निर्णय किया जाना हो तो पहले मियाद के आवेदन को स्वीकार किया जाना चाहिये।
2. आरबीजे 2015 पेज 232– अनुसूचित जनजाति में पुत्री के उत्तराधिकार का अवसान नहीं होता।
3. एआईआर (एचपी) 2016 पेज 58– अनुसूचित जनजाति में पुत्री के उत्तराधिकार का अवसान नहीं होता।

उपरोक्त तथ्यों को ही अपीलान्ट द्वारा लिखित बहस में उद्धृत करते हुए अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त कर अपील स्वीकार करने का अनुरोध किया है।

इसके विरूद्ध वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय औचित्यपूर्ण है। श्रीमती केसर द्वारा अपने अपील अधिकार का प्रत्याहरण कर लिया है तथा उसने अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय से सहमति व्यक्त की है तथा स्वयं भी यह अनुरोध किया है कि श्रीमती मणी रूपा जी की पुत्री नहीं होकर होमजी की पुत्री है। उसका रूपा की जायदाद में कोई हक नहीं है। केसर स्वयं की स्वीकारोक्ति तथा उसके द्वारा की गई बक्शीशनामा के आधार पर रूपा की पुत्री मणी होना प्रमाणित नहीं है। अपीलान्ट द्वारा कोई भी ऐसी साक्ष्य पेश नहीं की गई है जिससे रूपा की पुत्री मणी होना प्रमाणित होता हों। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दोनों नामान्तरकरणों क्रमशः विरासत व बक्शीशनामा उचित होकर अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने का निर्णय उचित है। वर्तमान अपील अपास्त किया जाना निवेदन किया।

प्रकरण में हमारे द्वारा उभय पक्ष सुनी गई बहस व पत्रावली के रेकार्ड का अवलोकन कर मनन किया तो यह पाया कि प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि नामान्तरकरण संख्या 514 निर्णय दिनांक 28.03.2012 मूल रूप से रूपा की विरासत आधार पर उसकी पत्नी के नाम दर्ज किया गया। पत्नी केसर द्वारा पुनः उक्त भूमि का बक्शीश रेस्पोडेन्ट संख्या 1 कान्तीलाल के नाम दिनांक 10.04.2012 को कर देने के कारण नामान्तरकरण संख्या 515 निर्णय दिनांक 27.04.2012 से निर्णीत हुआ। प्रकरण में मूल तथ्य यह है कि आया मणी अपीलान्ट रूपा की पुत्री होकर उसे रूपा के निधन पर विरासती उत्तराधिकार से वंचित किया गया अथवा नहीं। सम्पूर्ण पत्रावली, अधीनस्थ न्यायालय एवं यहां पर अपील के दौरान भी ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं हुआ है, जिससे मणी को रूपा की पुत्री माना जा सकें। यदि मणी रूपा की पुत्री है तो इसे सिद्ध करने का दायित्व उसका है। प्रकरण में हालांकि प्रथम अपील मणी के साथ उसकी माता केसर द्वारा भी पेश की गई, परन्तु द्वितीय अपील में केसर द्वारा अपील न सिर्फ प्रत्याहरित कर ली गई, अपितु प्रत्याहरण आवेदन के साथ यह भी निवेदन किया कि उसका प्रथम विवाह होमजी के साथ होकर उसके नुत्फे से मणी का जन्म हुआ, अर्थात् अपीलान्ट की माता स्वयं अपीलान्ट को रूपा की पुत्री नहीं होने का कथन करती है। उपरोक्त दोनों तथ्यों के दृष्टिगत यह सुस्पष्ट होता है कि

रूपा की पुत्री अपीलान्ट मणी होना प्रमाणित नहीं है एवं तद्नुसार रूपा की विरासती उत्तराधिकार प्राप्ति के लिए अपीलान्ट को अधिकारिणी नहीं माना जा सकता। प्रकरण में मियाद अथवा हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की इस प्रकरण में विवेचन की उपादेयता ही नहीं है, क्योंकि प्रकरण के मौलिक प्रश्न की अपीलान्ट मणी का रूपा की पुत्री होना ही प्रमाणित नहीं हुआ है, न ही उसकी माता केसर उसे रूपा की पुत्री होना अभिस्वीकृत करती है। उपरोक्तानुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट की अपील खारिज किये जाने के निर्णय में हम किसी प्रकार की तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं पाते। अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

मिसल शुमार फैसल हो, आदेश सुनाया गया।

(एल0एन0मंत्री)
अति. संभागीय आयुक्त,
उदयपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official